XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व अपील वाद संख्या–94/09

U/S 48 (F) B.T.Act

अरूण यादव, पिता–महावीर यादव, साकिन–परोरा, थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ

———————

आवेदक

बनाम्

1. कौशलेन्द्र नारायण चौधरी, पिता–नरेन्द्र नारायण चौधरी, साकिन–परोरा, थाना– के0नगर, जिला–पूर्णियाँ
2. सुभाषचन्द्र राय, पिता–स्व0 राम सागर राय, साकिन–सरायरंजन,थाना +जिला–समस्तीपुर
3. अरविन्द कुमार, पिता–विश्वनाथ साह,
4. पल्लवी गुप्ता, पति– अरविन्द कुमार

क्रमांक 3 एवं 4 का साकिन–मधुबनी, थाना–के0हाट, जिला–पूर्णियाँ

————————विपक्षीगण

आ दे श

आवेदक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,सदर के न्यायालय से बटाईदारी वाद सं0–83/2006–07 में दिनांक–28.08.2009 को पारित आदेश के विरूद्व यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर के न्यायालय में धारा 48(एफ) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत वाद सं0–83/2006–07 दायर किया था। निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को नोटिस भेजा गया। नोटिस का तामिला प्राप्त होने के बाद विपक्षी सं0–3 एवं 4 न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में कागजात प्रस्तुत किये। निम्न न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के बाद वाद को खारिज कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि निम्न न्यायालय द्वारा नियमतः वाद को समझौता बोर्ड नहीं भेजा गया, जबकि पहले आवेदक के पूर्वज बटाई करते थे और वर्तमान में आवेदक फसल बॉटकर भू–स्वामी को दे रहा है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियम के विरूद्व है । अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि वाद की सुनवाई कर न्याय प्रदान करने की कृपा की जाय।

विपक्षी 3 एवं 4 की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल की गई है। उनका कथन है कि विपक्षी सं0–1 एवं 2 को प्रश्नगत जमीन से काई संबंध में नहीं है। आवदेक द्वारा निम्न न्यायालय में दायर वाद प्रविष्टि के समय ही खारिज हो चुका है। अतः यह अपील वाद किसी भी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। आवेदक जमीन को हड़पने के उद्देश्य से झुठा वाद दायर किया है। विपक्षी सं0–3 एवं 4 ने संयुक्त रूप से प्रश्नगत जमीन निबंधित केवाला द्वारा दिनांक 08.01.2007 को नृपेन्द्र नारायण चौधरी से खरीदा है। विपक्षी सं0–1 एवं 2 आवेदक के साथ मिलकर विपक्षी सं0–3 को जमीन से जबरदस्ती बेदखल करना चाहता है ।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1969 ई0 में स्व0 नरेन्द्र नारायण चौधरी ने आवेदक के दादा स्व0 कार्तिक गोप के विरूद्व स्वत्व वाद सं0–94/1959 दायर किया था और उक्त वाद में स्व0 नरेन्द्र नारायण चौधरी के पक्ष में आदेश पारित हुआ था। इस प्रकार आवेदक द्वारा किया गया बटाई दावा पूर्ण रूप से मनगढंत है। आवेदक के द्वारा एक भी साक्ष्य इस संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः विपक्षी सं0–3 एवं 4 इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 08.07.2011 को सुनवाई की गयी। आवेदक अनुपस्थित थे। अभिलेख के अवलोकन स्पष्ट होता है कि पूर्व में भी कई तिथियों में आवेदक अनुपस्थित पाये गये। इस कारण से दिनांक 02.07.2010 एवं 23.08.2010 को उन्हें अंतिम मौका देते हुए न्यायालय में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया था। दिनांक 23.05.2011 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गयी। पुनः इसे दिनांक 08.07.2011 को रखा गया। अनेकों मौका देने के बाबजूद भी आवेदक अनुपस्थित रहे। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाद के निष्पादन में आवेदक को कोई रूचि नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि इस वाद के निष्पादन में विलम्ब करना उनकी मंशा है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के आवेदन निर्वहन योग्य नहीं है। आवेदक के द्वारा धारा–48 (E) (1) के तहत यह वाद दायर किया गया, जो इस न्यायालय में निर्वहन योग्य नहीं है।

पुनः दिनांक 03.02.2012 को सुनवाई हेतु रखी गयी।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं सुनवाई करने के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय संगत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। आवेदक के द्वारा भी इस वाद के निष्पादन में कोई रूचि नहीं लिया जा रहा है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ